ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

जानवरों के लिए सुरक्षित नहीं दुनिया की 73 फीसदी भूमि

रविवारीय, 05 - 11 सितंबर 2021 वर्ष- तीन, अंक -04, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

ग्रीन रिवोल्ट के सभी सुधि पाठकों को शिक्षक दिवस की ढेरो शुभकामनायें

झारखंड में वायु प्रदूषण काबू में पर अभी से ही सजगता जरूरी

वरीय संवाददाता

रांची : शनिवार चार अगस्त को रांची प्रेस क्लब ***असर*** और ***सीड*** ने रांची प्रेस क्लब सभागार में झारखंड में वायु प्रदूषण विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों से आये पत्रकारों और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से जुड़ कर पर्यावरण रिपोर्टरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव थे। जिन्होंने रांची समेत अन्य जिलों से आये सभी पत्रकारों एवं पर्यावरण पर काम कर रहे लोगों से की बातें सुनीं। जानकारों की राय में यह निष्कर्ष निकल कर आया कि झारखंड में अभी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक नहीं है। राज्य में कोलफिल्ड वाले कुछेक जिलों को छोड़ दे तो अन्य जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य है। लेकिन यही समय है जब हमें सजग होना होगा ताकि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक नहीं बढ़े,जैसा कि दिल्ली, कानपुर, मुंबई जैसे महानगरों का है।

देश के अन्य राज्यों और महानगरों से अगर हम झारखंड की तुलना करें तो एक औद्योगिक राज्य होने के बाद भी झारखंड के अधिकतर जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर मानकों के हिसाब से मॉडरेट (50-100 एक्यूआइ)है। लेकिन धनबाद, झरिया, रामगढ़ जैसे जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक है। चुंकि इन जिलों में कोयला उत्खनन होता है ऐसे में यहां कि वायु प्रदूषित है।

रांची प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकारों ने डॉ. रामेश्वर उरांव को आम का पौधा भेंट किया

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गैरजिम्मदार है: वित्तमंत्री

झारखंड के वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने राज्य में प्रदूषण स्तर पर सवाल किये तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य प्रदूषण बोर्ड अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कर रहा है। रांची झीरी में कचरा डंपिंग पर भी उन्होंने राज्य प्रदूषणबोर्ड और सरकारों को गैरजिम्मेदार बताया।

उन्होंने कहा कि सरकारें अगर कोई ऐसा निर्माण या विकास कार्य करती हैं जिससे उस क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो वहां के लोगों को खुल कर विरोध करना चाहिये। जनता के मुखर विरोध से ही पर्यावरण विरोधी निर्माण कार्यों पर प्रारंभ में ही रोक लग जाती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री के ऐसे ही निर्माण कार्य कराने का ग्रामीणों ने विरोध किया और अंततः उस काम को उन्हें रोकना पड़ा। उनके गृह जिले डाल्टनगंज में भी लोग वैसे किसी भी निर्माण का साथ नहीं देते जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान हो, उद्योग धंधे तो स्थापित होंगे, पर हमें ही प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का भी काम करना होगा। प्रदूषण की समस्या पुरानी है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के समय से ही यह हमारे सामने है। आज बेतहाशा बढती आबादी भी प्रत्येक प्रदूषण के बढने के लिये जिम्मेवार है। शहरों में तो आबादी का दबाव और बढ़ चुका है इसलिये वायु प्रदूषण का खतरा भी बढ़ा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वह खुद बुद्ध से प्रभावित हैं और बोधि वृक्ष के पास से एक पीपल का वृक्ष लाकर उन्होंने अपने घर के पास लगाया है जो आज बड़ा हो गया है। पीपल का वृक्ष लगाना चाहिये यह सदैव ऑक्सीजन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जब 1985 में मैं रांची में पदस्थापित था तो उनके एक वरिष्ठ मदन मोहन झा ने पूरे शहर में वृक्ष लगवाये और हर जगह लिखवाया ग्रीन रांची क्लीन रांची।

40 के बाद होने वाले रोग अब बच्चे भी : डॉ. गंगोपाध्याय

कार्यक्रम में पत्रकारों के अलावा छाती रोग विशेषज्ञ डॉ. अत्रि गंगोपाध्याय भी शामिल थे। उन्होंने झारखंड में वायु प्रदूषण के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करते हुये कहा कि राज्य में अभी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक नहीं है, पर हम झारखंडियों के लिये एक चेतावनी जरूर है।

माइनिंग वाले जिलों में अब सांस संबंधी कई रोग बच्चों में भी हो रहे हैं जो पहले चालीस साल के बाद सिर्फ व्यस्कों में हो रहे थे। युवा डॉक्टर अत्रि गंगापाध्याय ने बताया कि वायु प्रदूषण में जो धूलकण हैं जिन्हें पाटीकुलेट मैटर कहते हैं वह माइनिंग वाले इलाकों में छाती और श्वसन रोगियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। साथ ही अब इससे कैंसर, सीओपीडी जैसे रोगों के बढ़ने का खतरा भी है।

लोहरदगा शहर के अंदर बॉक्साइट डंपिंग से बढ़ा प्रदूषण

लोहरदगा से आये एक पत्रकार ने बताया कि शहर में ही बॉक्साइट की डंपिंग से यातायात में असुविधा के साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ा है और इसके कारण भूमिगत जलस्तर भी नीचे चला गया है। वायु प्रदूषण के कारण लोहरदगा शहर में हज़रदयरोगियों की संख्या भी बढी है।

डॉ. रामेश्वर उरांव ने इन समस्या को सुन कर सहमति जतायी और इसके निदान का आश्वासन दिया ।

झारखंड में क्रशर ,अवैध बालू खनन बना पर्यावरण के लिये खतरा

सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि झारखंड में क्रशर के लिये पहाड़ों को काटना और अवैध बालू खनन पर सरकार कोई लगाम नहीं लगा पा रही है।

क्रशर से एक साथ तीन भयानक नुकसान हो रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर खत्म किया जा रहा है? इससे वहां का पर्यावरण, जल संरक्षण और खुबसूरती खत्म हो रही है। क्रशर के उड़ते धूल के कारण आस पास के खेत बंजर हो जा रहे हैं साथ ही इसके सुक्ष्म धूल कण ग्रामीण इलाकों में भी श्वसन रोग को बढ़ा रहे हैं।

बुंडू इलाके में अवैध बालू खनन से पुल तक ध्वस्त हो गया। हैरानी की बात है कि इतना शोर होने के बाद भी वहां बालू का खनन अनवरत जारी है।

'इस्टब्लिसमेंट ऑफ द ईयर 2021' अवार्ड से सीसीएल सम्मानित

संवाददाता

रांची : 04 सितम्बर को कोलकाता में बोर्ड ऑफ प्रैटिक्ल ट्रेनिंग (पूर्वी क्षेत्र), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित "रिजनल अप्रेनटीसशीप डे 2021 (Regional Apprenticeship Day - 2021)'कार्यक्रम में सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) कोराष्ट्रीय अप्रेनटीसशीप प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं सराहनीय योगदान के लिए'इस्टब्लिस्मेंट ऑफ द ईयर - 2021 (Establishment of the Year -2021)'अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड सीसीएल की ओर से महाप्रबंधक (एचआरडी)एस.के. सिंह ने मुख्य अतिथि से प्राप्त किया।

निदेशक (कार्मिक), सीसीएल,पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुना राव ने एचआरडी टीम को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि सीसीएल प्रबंधन सदैव ही जरूरतमंद युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम करता आ रहा है। सीसीएल की प्राथमिकता समाज एवं परियोजना प्रभावित परिवारों का सर्वांगीण विकास है। ज्ञातव्य है कि समारोह नेशनल अप्रेनटीसशीप ट्रेनिंग स्कीम (एनएटीएस) के तहत स्कीम के स्टेकहोल्डर्स यानि प्रतिष्ठानों, संस्थाओं एवं विद्यार्थियों को 'कौशल विकास मिशन'में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।

सीएमडी श्री पी.एम. प्रसाद के मार्गदर्शन में कोविड महामारी के दौरान भी सीसीएल के एचआरडी विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुये अपने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं हितधारकों को वर्ष भर विशिष्ट ज्ञान और कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सतत जारी रखा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने प्रशिक्षण कैलेंडर में सूचीबद्धप्रशिक्षण कार्यक्रमों को वेबिनार और ऑनलाईन (डिजिटल मोड) के रूप में परिवर्तित किया है। सीसीएल प्रबंधन द्वारा कौशल विकास की दिशा में अनुकरणीय पहल करते हुये राष्ट्रीय अपरेंटिस प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत कोल इंडिया की पहली और झारखंड के दूसरा 'बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर केंद्र की स्थापना विगत 19 अगस्त, 2021कोकिया गया। इस केन्द्र में युवाओं को विभिन्न ट्रेड में नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

ड्रोन से कीटनाशी छिड़काव बेहद कारगर : कुलपति बीएयू

- *बीएयू में ड्रोन के माध्यम से फसल पर कीटनाशी छिड़काव का प्रदर्शन*
- *कुलपति एवं वैज्ञानिकों ने प्रदर्शन को देखा*

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चेन्नई के गरुदा एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधीन ड्रोन के माध्यम से धान फसल पर कीटनाशी और कीट व्याधि के छिड़काव कार्य को प्रदर्शित किया गया. मौके पर कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने ड्रोन से कृषि कार्य की बारीकियों को जाना। मौके पर विवि परिसर में लगे धान फसल के प्रायोगिक फार्म में ड्रोन के माध्यम से धान फसल पर फफूंदनाशी रसायन का छिड़काव किया गया. छिड़काव की दर चार एकड़ प्रति घंटे रही. दो घंटे तक ड्रोन हवा में रहे. कृषि विश्वविद्यालय में इस तकनीक का प्रदर्शन पहली बार किया गया. मौके पर विवि के अनेक वैज्ञानिक, आस -पास के गाँवो के किसान तथा आकस्मिक श्रमिक भी मौजूद थे. ई डीके रूसिया ने बताया गया कि ड्रोन के माध्यम से अब विभिन्न फसलों में खर-पतवारनाशी तथा फफूंदनाशी रसायन का आसानी से छिड़काव संभव हो गया है. इस तकनीक से न सिर्फ श्रम व पैसे की बचत की जा सकती है, बल्कि 30 से 40 फीसद तक रसायन की भी बचत होती है.

पौधा रोग वैज्ञानिक डॉ एचसी लाल ने कहा कि ड्रोन तकनीकी से एक दिन में 25 से 30 एकड़ में लगे फसल पर कीटनाशी और कीट व्याधि का छिड़काव किया जा सकता है. फसल लगे खेतों में बड़े पैमाने पर कीट ब्याधि के प्रकोप होने पर यह काफी कारगर साबित हो सकती. इसके उपयोग से कम समय एवं कम श्रम शक्ति से अधिक क्षेत्र में छिड़काव की जा सकती है. साथ ही रसायनों से दूरी की वजह से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है.

कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि कृषि कार्य को आसान बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है. अब कृषि कार्यो में आधुनिक कृषि यंत्रो का काफी उपयोग हो रहा है. खेती कार्य में ड्रोन का उपयोग कोई नई बात नहीं है. विदेशों में यह तकनीक काफी प्रचलित है और इसका प्रयोग वर्षो पहले से हो रहा है. दक्षिण भारतीय राज्यों में धीरे - धीरे यह तकनीक प्रचलित हो रही है. किसान अब खेती में ड्रोन व रोबोट तकनीक का फायदा ले रहे है. ड्रोन से छिड़काव के अच्छे परिणाम देखने को मिले है. खासकर ड्रोन का प्रयोग ऊँचाई वाले स्थान और ऐसे क्षेत्र जहाँ माउंटेड स्प्रयेर आदि नहीं जा सकती है, वहाँ इसका उपयोग विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है. खेतों में बड़े पैमाने पर कीट - ब्याधि का प्रकोप होने पर यह तकनीक बेहतर साबित हो सकती है. कुलपति ने कहा कि प्रदेश में इस तकनीक के उपयोग पर वैज्ञानिकों से विमर्श किया जायेगा. प्रदेश में इसकी उपयोगिता पर शोध ट्रायल किये जाने की आवश्यकता है. राज्य के अन्य जिलों के किसानों के बीच इस तकनीक का प्रदर्शन होना जरूरी है।

आजादी का अमृत महोत्सव सीएमपीडीआई में मास्क एवं जूट बैग का वितरण

रांची : सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के उपलक्ष्य में संस्थान के महाप्रबंधक (एचआरडी/सीएसआर/एमएसडी) आलोक कुमार द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वाश एवं जूट बैग का एक सेट वितरित किया गया।

इस अवसर पर संस्थान के महाप्रबंधक (एचआरडी/सीएस–ाआर/एमएसडी) आलोक कुमार अपने सम्बोधन में स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के महत्व और उनकी भूमिका के बारे में बताया और सभी से आग्रह कियाकि स्वच्छ हराभरा एवं रोगमुक्त वातावरण के लिए अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छता प्रदान करें एवं प्रकृति को हरा–भरा रखने में सहयोग करें। मौके पर उन्होंने शहीद भगत सिंह का भाषण को भी कर्मियों से साझा किया।

जल प्रदूषण की मार मुझे भी खेलने का मन करता है,पर मैं क्या करूं मम्मी ?

रामगढ़ का हेसागढ़ा पंचायत जहां गूंजती है मजबूर बच्चों की सिसकियां, यहां आज भी बच्चे अपने ही घरों में रहते हैं कैद

कुमार संभव

''जब बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गये तो उसके माथे पर नस-नस में सुई जैसा कुछ लगा दिया था। अब पता नहीं कि उसको क्या बीमारी है। जहां-जहां लोगों ने कहा वहां-वहां उसे लेकर गये। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पर ध्यान दिया तो पेट भी भरना मुश्किल हो जाएगा।

ये बेचारगी भरे स्वर हैं सरस्वती देवी की, जिसकी 10 साल की बेटी रानी (काल्पनिक नाम) आज एक ऐसी लाइलाज बीमारी से जूझ रही है कि उसका इलाज शायद संभव नहीं है। दरअसल, ये मामला है झारखंड के रामगढ़ जिला के उस कोयला वाले क्षेत्र हेसागढ़ा की जहां आज करीब 12 हजार परिवार रहते हैं। तकरीबना सभी परिवारों के साथ ऐसी ही समस्या है। जन्म से ही अपने मासूम बच्चों के साथ ऐसी बीमारी से जूझ रहे परिवार काफी मायूस हैं। रानी के माता-पिता दिनभर मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार के पेट भरते हैं। दोनों के काम पर जाने के बाद बच्चों के साथ घर पर कोई नहीं होता। अपने पैरों पर चलने और खेलने के बजाय आज ये मासूम बच्चे घरों में लगे ताले के भीतर कैद रहते हैं। ऐसे में किसी अनहोनी की भी आशंका सताती रहती है। रानी के पिता अशोक बेदिया बताते हैं, ''मेरे चार बच्चे हैं और चारों की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कई डॉक्टरों से दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। रानी अकेली ऐसी नहीं है। इस इलाके में रहने वाले 15 वर्ष की आयु से कम कई ऐसे बच्चे हैं जिनमें शारीरिक अक्षमता जैसे चलने में दिक्कत, समझने में परेशानी के साथ-साथ मानसिक समस्या भी है।

क्या है मामला ?

रामगढ़ का हेसागढ़ा पंचायत के आसपास घनी आबादी रहती है। आज भी यो लोग जीविकोपार्जन के लिये बंद पड़े खादानों पर ही निर्भर हैं। शायद यही वजह कि दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में ये लोग इस क्षेत्र को अपनाये हुए हैं। सरकारी अनदेखी भी इसका एक कारण माना जा सकता है। इन क्षेत्रों में पीने के पानी की घोर किल्लत है। पूरी आबादी चुएं के पानी पीने को मजबूर है। बच्चों शारीरिक अक्षमता जैसे पैर का टेढ़ापन, आंखों से कम दिखाई देना, अपने पैरों पर न चल पाना आम बीमारी सी हो गई है। राधेश्याम बाताते हैं कि, ''मेंरा बच्चा 12 साल का है और वो बचपन से हीं अपने पैरों पर चल नहीं सकता। यहां तक कि शौचालय के लिये हमने कुर्सी को काटकर ही इसके लिये व्यवस्था की है। काफी दक्कत होती है। वो कहते हैं कि कई डॉक्टरों से दिखाने पर भी ये बीमारी ठीक नहीं ।

क्या कहते हैं डॉक्टर?

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (CIP) के सीनियर डॉक्टर और सहायक प्राध्यापक संजय कुमार मुंडा बताते हैं कि लम्बे समय तक रसायनयुक्त पानी पीने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। जिसमे बहुअंग विकार और स्नायु तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। कई बार ये भी देखा गया है खनन वाले इलाके में जन्मे बच्चों में कई तरह की मानसिक विकृतियां जन्म से या जन्म के कुछ दिन बाद देखने को मिलती हैं।

क्या कहना है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का ?

इन क्षेत्रों में रहने वाले करीब 12 हजार परिवारों तथा उनके बच्चों के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली यूथ यूनियन फॉर वोलेन्टरी एक्शन (UVA) के सचिव राकेश नारायण की मानें तो 103 परिवारों के 144 बच्चों के साथ ऐसी ही समस्या है। जो मानसिक रोग और मानसिक रुप से दिव्यांग हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव और अज्ञानता इसकी एक वजह हो सकती है। बता दें कि यूके की संस्था पॉल हेमलिन फाउंडेशन भी YUVA को इस कार्य में अपना सहयोग दे रही है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (NSSO) के अनुसार, 2001 में, ग्रामीण इलाकों में ..शेष पेज तीन पर

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

देश की प्राणवायु बनी कृषि

पिछले वर्ष जब लॉकडाउन और कोरोना के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, उस वक्त में कृषि ने ही विकास का पहिया चालू रखा था। नयी पीढी को तो संभवतः पहली बार यह समझ में आया होगा कि कृषि का भारत जैसे देश में क्या महत्व और योगदान है। इस वर्ष भी

कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र अभी भी 2019-20 के स्तर से नीचे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है।

जहां बार -ब्बार एक दुखद आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है कि देश में हर रोज दस हजार लोग कृषि छोड़ कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वहां कृषि का ही देश के लिये तारणहार बनके सामने आना एक सुखद संयोग है। संभवतः भविष्य पढे लिखे युवा भी कृषि की ओर आकर्षित होंगे?

जानकारों का मानना है कि कृषि ही फिर से देश की अर्थव्यवस्था को उबारने का काम कर रही है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-2022 (पहली तिमाही : अप्रैल-जून, 2021) में 31 अगस्त को भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 20.1 प्रतिशत बढ़ा है। यह लगातार चौथी तिमाही है जब अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की दो लहरों के बाद बेहतर होने का संकेत दे रही है।

एमओएसपीआई के मुताबिक सभी प्रमुख आठ प्रकार के उद्योगों ने पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष समान अवधि (पहली तिमाही) में वृद्धि दर्ज की है। पिछले साल पहली तिमाही में यानी पहले राष्ट्रीय लॉकडाउन और उसके बाद एकमात्र कृषि ही ऐसा ''उद्योग का प्रकार'' था जिसने 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी, जबकि समग्र अर्थव्यवस्था में -22.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में हुई प्रभावशाली वृद्धि को न्यूनतम आधार पर मापा गया है। हालांकि बीते सामान्य वर्ष 2019-2020 की पहली तिमाही की तुलना में कृषि को छोड़कर सभी आर्थिक क्षेत्रों में विकास का निचला स्तर रिकॉर्ड करना जारी है। कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पिछले तीन वर्षों में पहली तिमाही में उच्च सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की रिपोर्ट कर रहा है। यानि पुरानी कहावत कि भारत एक कृषि प्रधान देश है इसका प्रमाण संकट काल में हमें देखने को मिल रहा है।

हर साल जलवायु परिवर्तन का दंश झेलता हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में इस साल प्राकृतिक आपदाओं में कम से कम 246 लोगों ने जान गंवाई है। राज्य में भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी कुदरती अपदाएं बढ़ती जा रही हैं। जानकार इन त्रासदियों को जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों का कुप्रभाव मानते हैं। हालांकि सरकार अभी भी अलग धुन में है।

जानकार बताते हैं कि मैदानी इलाकों का तापमान औद्योगिकरण के समय के मुकाबले एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसकी तुलना में हिमाचल प्रदेश के तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का दावा है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्यभर में चल रहे दर्जनों हाइवे और पनबिजली परियोजनाओं की वजह से संवेदनशील पारिस्थितिकी वाले इलाके प्रभावित हो रहे हैं। सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़ी, कुदरती खूबसूरती और विहंगम नजारा। ये सब हिमाचल प्रदेश की पहचान हैं। इसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर देश-विदेश के हजारों-हजार लोग राज्य यहां आते हैं। हालांकि, स्थानीय लोगों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। जलवायु परिवर्तन की वजह से बीते कुछ वर्षों में पहाड़ों में बढ़ती त्रासदी से न केवल इनका जीवन कठिन हुआ है बल्कि सैंकड़ों लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। यहां बाढ़, बादल फटना और भूस्खलन अब हर साल की बात हो गई है। इन हादसों में इस वर्ष 246 लोगों ने अपनी जान गवाईं हैं।

साल 2021 में राज्य में अबतक 35 बड़े भूस्खलन की घटना सामने आई है। यह संख्या 2020 में 16 थी। इस साल 11 अगस्त को किन्नौर में हुए भूस्खलन में 28 लोगों की जान चली गयी। इस मानसून में बादल फटने के मामले में भी बीते साल के मुकाबले 121 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। फ्लैश फ्लड या पहाड़ों में अचानक आई बाढ़ के 17 मामले इस वर्ष दर्ज किए गए हैं। पिछले साल इसकी संख्या नौ ही थी। जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की वैज्ञानिक रेनु लता ने मोंगाबे-हिन्दी से बातचीत में कहा कि जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों की वजह से हिमाचल प्रदेश में भीषण हादसे हो रहे हैं।

महिलाओं के भूमि अधिकारों का अधूरा अध्याय

खेती-बाड़ी के अधिकांश काम करने के बावजूद महिलाओं को भी 'किसान' होने का वैधानिक अहसास, आख़िर कब और किसकी बदौलत होगा?

भारत में महिलाओं के भूमि अधिकारों का अध्याय, स्वाधीनता के सात दशकों के बाद भी अब तक अपूर्ण है। इसका एक अर्थ यह है कि आधी आबादी की 'स्वाधीनता' अब तक अधूरी है। और इसके निहितार्थ यह भी हैं कि भारत में महिलाओं की 'स्वाधीनता' स्वयं समाज और सरकार ने कमतर कर दी है। ऐसे में भारत की जनगणना (2011), जिन 56 फ़ीसदी ग्रामीण जनसंख्या के भूमिहीन होने का आंकलन करती है उस विपन्न भूमिहीन समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है/हो सकती है - यह सवाल महिलाओं के अधिकारों के केंद्रबिंदु में आज होना ही चाहिए। लेकिन जवाब आखिर कहां और किसके पास होने चाहिए? क्या समाज और सरकार के समक्ष महिलाओं को यह साबित करना होगा कि वह भी 'समानता' के संवैधानिक दायरों में शामिल हैं? क्या महिलाओं को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करना होगा कि 'संपत्ति और भूमि' में कानूनन उनका भी आधा हिस्सा है? खेती-बाड़ी के अधिकांश काम करने के बावजूद महिलाओं को भी 'किसान' होने का वैधानिक अहसास, आखिर कब और किसके बदौलत होगा? राज्यों के मौजूदा कानून और नीतियां, आधी आबादी के भूमि अधिकारों को ज़मीनी स्तर पर स्थापित कर पानें में अब तक असफ़ल क्यों रही हैं? महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने में आखिर सामाजिक व्यवस्था इतनी अक्षम क्यों है? संवैधानिक वायदों के बाद भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर सामाजिक जड़ता और प्रशासनिक नाकामियां पूर्वाग्रहों से ग्रसित क्यों हैं? महिलाओं को सम्मानपूर्वक उनके भूमि और संपत्ति के अधिकारों को न दिला पाने का अभियोग समाज पर लगना चाहिये या सरकार पर? भारत जैसे देश में लगभग 55 करोड़ महिलाओं के अधिकारों और जिंदगी से जुड़े इन सवालों के जवाबों के लिये समाज और सरकार आखिर कब तक सामर्थ्यहीन बने रहेंगे/बने रहना चाहते हैं ?

प्रश्नों की यह सतत बढ़ती कड़ियाँ कदाचित और अधिक लंबी और जटिल हो सकती हैं - लेकिन अनुत्तरित सवालों के जवाबों के लिये जवाबदेह सरकार और समाज का मौन सदियों से अधिकारों के लिये प्रतीक्षारत महिला समाज के समक्ष अब तलक मुंह बाये खड़ा है। वास्तव में महिलाओं के हक़ों की पैरवी करते तमाम कानून तो महज़ लिखी हुई इबारतें हैं, जिन्हें मानना - न मानना उस पुरुषप्रधान समाज का विशेषाधिकार बन चुका है, जो महिलाओं को भूमि और संपत्ति के बराबरी का हक़ मिलने - न मिलने के मध्य खड़ा है। यथार्थ तो यह है कि उसके (पुरुषप्रधान) विशेषाधिकार के दायरे में वह पूरी विधायिका, कार्यपालिका और (कुछ हद तक) न्यायपालिका भी है, जो महिलाओं के अधिकारों के पैमानों को अब तक पूर्वाग्रहपूर्ण तय करते रही है।

झारखण्ड में भूमि संबंधी कानून और भूमि तथा संपत्ति के अधिकारों को लेकर महिलाओं की मौजूदा स्थिति, समाज और सरकार दोनों की मानसिकता को बेपरदा करती है। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'लैंडऐसा' और भारत में एकल महिलाओं के अधिकारों के लिये संघर्षरत 'एकल नारी सशक्ति संगठन' के संयुक्त प्रयासों से हुये अध्ययन की बानगी इसे गहराई से समझा जा सकता है। इस अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता शिप्रा देव का कहना है कि झ ''झारखंड में विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के भूमि और संपत्ति के संबंध में अब तक तय वैधानिक ताने-बाने के कमजोर और निष्प्रभावी होने के पीछे कई कारण हैं जिसे कानून की शब्दावलियों से लेकर उसके पूर्वाग्रहपूर्ण व्याख्या और सार्वजनिक सामाजिक भेदभाव से लेकर प्रशासनिक अवमाननाओं तक देखा-समझा जा सकता है। झारखण्ड के आदिवासी क्षेत्रों में प्रथागत रीतियों के अंतर्गत परंपरागत जाति-निकायों के प्रमुख (जैसे मुंडा, मानकी आदि) केवल पुरुष ही होते आये हैं जहाँ महिलाओं के भूमि तथा संपत्ति के अधिकारों की चर्चा ही बेमानी है।

वास्तव में आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में झारखण्ड मे जारी वैधानिक प्रावधानों तथा प्रथागत कानूनों की दोहरी व्यवस्था, महिलाओं के अधिकारों को जटिल बनाती हैं - और फिर सामाजिक व संस्थागत बाधायें इस जटिलता को और अधिक बढ़ाती हैं। महिलाओ ं के भूमि और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित मौजूदा कानूनों और प्रथाओं के आधार पर समाज और सामाजिक-पंचायतों के विवादपूर्ण निर्णय, लिये गये इन निर्णयों के लिये पुरुष प्रधान सामाजिक प्रमुखों का होना और निर्णयों के माध्यम से महिलाओं पर लादी गयी प्रताड़ना एक ऐसा दुष्चक्र बन चुका है, जो इक्कीसवीं सदी मे अपने अधिकारों के लिये संघर्षरत महिलाओं के लिये विवादित फ़रमान जारी करता है ।

झारखंड में महिलाओं को शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले 'डायन कुप्रथा' पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करते हुये वर्ष 2001 मे 'डायन प्रतिषेध अधिनियम' लागू किया गया। दरअसल, महिलाओं को डायन ठहरा देने के नाम पर बरसों से जारी कुप्रथा की जड़ों में, भूमि और संपत्ति संबंधी विवाद ही अधिक हैं। इसीलिये इस कुप्रथा की समाप्ति और दोषी लोगों पर दण्डात्मक कार्यवाही के लिये लाये गये इस कानून का सबने स्वागत किया। किन्तु, इस कानून के दायरे में कितने लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही हुई - इसकी संख्या ही कानून को लागू करवाने वाले लचर तंत्र को बेनक़ाब करती है।

झारखण्ड के एक प्रमुख दैनिक अख़बार में 8 जनवरी 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से अक्तूबर 2020 तक राज्य में डायन बिसाही के आरोप में 211 महिलाओं की हत्या की गयी है। झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड में वर्ष 2015 से अक्तूबर 2020 तक 4658 मामले डायन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज किये गये हैं। यानी हर वर्ष डायन बिसाही के आरोप में प्रताड़ना और हत्या के औसतन 931 मामले सामने आते रहे हैं। ग़ौरतलब है कि डायन के नाम महिलाओं को भूमि और संपत्ति के अधिकार से जुदा करने की साजिश किसी से छिपी नहीं, बावजूद इसके राज्य द्वारा दोषियों पर कार्यवाही न होने की लापरवाहियों ने महिलाओं को और अधिक कमजोर ही किया है। एकल नारी सशक्ति संगठन की निदेशिका और झारखण्ड में महिलाओं के अधिकारों के लिये संघर्षरत बिन्नी जी का कहना है कि - "डायन के नाम पर महिलाओं को संपत्ति और भूमि के अधिकारों से जुदा करने की घटनायें यह साबित करती हैं कि, पुरुषप्रधान सामाजिक ताने-बाने के मध्य मौजूदा दंडात्मक व्यवस्था लगभग विफ़ल रही है।" ऐसे में मौजूदा प्रथागत कानूनों के दायरे में आदिवासी महिला को, भूमि और संपत्ति के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को पाने के संघर्ष में समाज और सरकार दोनों के ही विरुद्ध खड़ा होना होता है।

महिलाओं के भूमि अधिकारों को लेकर वर्ष 2012 में भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा यह कहा गया कि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय संसाधनों पर महिलाओं के स्वामित्व को मजबूत किया जायेगा। वर्ष 2017 में झारखण्ड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल रहा जिसने सार्वजनिक घोषणा किया कि - यदि 50 लाख रूपए तक के भूमि संबंधी पंजीयन, महिलाओं के नाम पर किये जाते हैं तो राजस्व विभाग द्वारा मात्र एक रुपए का सांकेतिक स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा। लेकिन मई 2020 तक आते-आते उसी झारखण्ड सरकार ने भूमि राजस्व के तथाकथित भारी नुकसान के राजनैतिक तर्कों के साथ इस प्रावधान को ही समाप्त कर दिया। इस नीति का आना और खारिज कर दिया जाना उस पुरुषप्रधान व्यवस्था का प्रमाण है जिसे संवेदनशील, महज़ संवैधानिक प्रावधानों और राजनैतिक परियोजनाओं से नहीं बनाया जा सकता है।

झारखण्ड की इमलिया, शांति, सुनीता और प्रमिला जैसी महिलायें उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित व्यवस्था की आखेट बनीं, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद - अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद करने का साहस दिखाया था। समाज और सरकार की असंवेदनशीलता ने उन्हें केवल हताश ही नहीं किया बल्कि उन्हें यह मानने को मजबूर भी किया कि, भूमि और संपत्ति के बराबरी के हकों की उनकी ख़्वाहिशें अधूरी ही रहेंगी। उनकी जिंदगी और अधिकारों का यह अधूरापन, उस समूची आधी आबादी का एक ऐसा सत्य है, जो समाज और सरकार के 'संविधान-निष्ठ और नैतिक न होने' का सार्वजनिक प्रमाण है। अपनी ज़मीन और जमीर के लिये बरसों से संघर्षरत महिलाओं के विरुद्ध जारी अक्षम्य अन्याय को समाप्त करने का नैतिक सामर्थ्य अब तो सरकार और समाज में होना ही चाहिये।

(लेखक रमेश शर्मा - एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं)

जानिए क्यों हाथियों के कॉरिडोर का संरक्षण है जरूरी?

वर्ष 2015 की हाथियों की गणना में ये बात सामने आई थी कि शिवालिक रिजर्व में रहने वाले तकरीबन 25 प्रतिशत हाथी संरक्षित क्षेत्र के बाहर रहते हैं।

वर्षा सिंह

एक तरफ जंगल के सबसे समझदार जानवर हाथियों की घटती संख्या पहले से ही चिंता का विषय हैं वहीं दूसरी तरफ अब उनका घरौंदे पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तराखंड में हाल के दिनों में शि-वालिक एलिफेंट कॉरिडोर को डि-नोटिफाई किया था, जिस पर पर्यावरणविद् से लेकर आम लोगों तक ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने भी दखल दिया। इसके बाद राज्य स-रकार ने अपना फ़ैसला रोक दिया। हालांकि अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) इंडिया ने शि-वालिक एलिफेंट रिजर्व के उदाहरण से हाथियों के कॉरिडोर की अहमियत को लेकर अपनी अध्ययन रिपोर्ट जारी की है,जिसमें कहा गया है कि एलिफेंट रिजर्व में किसी भी परियोजना को शुरु करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि संबंधित परियोजना का हाथियों पर क्या असर होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ रिपोर्ट में कहा गया है ''अगर धरती पर हाथियों की आबादी को बनाए रखना है तो उनके प्राकृतिक आवास और कॉरिडोर को बचाना बेहद जरूरी है।

भारत में तकरीबन 60 फीसदी जंगली एशियाई आबादी निवास करते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि एशियाई देशों में जंगली हाथियों की संख्या सौ साल पहले तकरीबन दोगुनी रही होगी। 50 हजार हाथियों में से अब मात्र 27 हजार हाथी धरती पर बचे हुए हैं।हाथी एक दिन में अपने वजन की तुलना में 4-6 फीसदी तक यानी तकरीबन 200 किलो चारा भोजन में लेते हैं। साथ ही रोजाना तकरीबन 190 लीटर तक पानी पी सकते हैं। अपनी खुराक की तलाश के लिए उन्हें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट पर रेडियो कॉलर किये हुए हाथी मानसून के लिहाज से अपनी जगह बदलते पाए गए। मौसम के लिहाज से उनकी आवाजाही बताती है कि हाथी को अपने रहने, भोजन और पानी की व्यवस्था करने के लिए विस्तार चाि-हए। इनके रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है या रास्ते सीमित किये जाते हैं तो हाथियों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में ये भीमकाय जानवर परेशान होता है और मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ता है। नर हाथी को सामान्य तौर पर 250 वर्ग किलोमीटर जगह की जरूरत होती है, जबकि मादा हाथी की अगुवाई वाले काफिले को 1000 वर्ग किलोमीटर जगह चाहिए होती है।

देहरादून में जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तार के लिए देश के सबसे बड़े शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना निरस्त करना एक बार फिर हाथियों के प्राकृतिक आवास पर बात करने की जरूरत दर्शाता है। हमें हाथियों के ठिकाने को महफूज रखने की अपनी प्रतिबद्धता कायम रखनी होगी। विकास से ज्यादा संरक्षण को प्राथमिकता में शामिल करना होगा। प्रकृतिवादी एम. कृष्णन ने कहा था ''हाथियों के पास रहने की पर्याप्त जगह जरूरी है। तब वे हमारे लिए भी कोई समस्या नहीं पैदा करेंगे लेकिन जब उनके आवाजाही के रास्ते बंद और सीमित हो जाते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। वे अपने आपको बंधक महसूस करते हैं''।

इस वक्त भारत के 14 राज्यों में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। हालांकि ये टाइगर रिजर्व की तरह नहीं होते। एलिफेंट रिजर्व और एलिफेंट कॉरिडोर प्रशासनिक व्यवस्था (क्लासीफिकेशन) है न कि कानूनी। हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत राज्य सरकारों ने हाथी बाहुल्य क्षेत्र के नोटिफिकेशन के जरिये एलिफेंट रिजर्व के रूप में चिन्हित किया था। जबकि टाइगर रिजर्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत चिन्हित किये जाते हैं। ये जंगल में बाघों को कानूनी सुरक्षा देते हैं। टाइगर रिजर्व में अमूमन घने जंगल और घास के मैदान होते हैं। मानवीय आबादी बहुत कम होती है। जबकि एलिफेंट रिजर्व में संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, रिजर्व फॉरेस्ट, सामुदायिक वन जैसी जगहें भी शामिल हो सकती हैं। यहां लोगों की आवाजाही को भी अनुमति दी गई है। क्योंकि हाथी अपेक्षाकृत छोटे संर-क्षित वन क्षेत्र में सिर्फ 60 % समय बिताते हैं और लंबी दूरियां तय कर करते हैं। वर्ष 2010 तक भारत के एलिफेंट रिजर्व में 65,000 वर्ग किमी. क्षेत्र ही शामिल था। जो देश के कुल भू-भाग का मात्र 1.9 % है। इसमें से मात्र 29 % अच्छी तरह सीमांकित संरक्षित क्षेत्र में आता है, जैसे कि वन्यजीव विहार या नेशनल पार्क। एलिफेंट रिजर्व में हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता भी मिलती है। एलिफेंट रिजर्व की जगह विकास परियोजनाएं बनाने में राज्य को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। हालांकि कानूनी तौर पर इसकी बाध्यता नहीं है।

डब्ल्यू-डब्ल्यू-एफ की रिपोर्ट कहती है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के लिए भी ये जरूरी है। उत्तरी भारत में हाथियों की बड़ी आबादी को बनाए रखने में शिवालिक रिजर्व की भूमिका बड़ी है। उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में वर्ष 2017 में 1839 हाथियों की गणना की गई थी। जबकि वर्ष 2020 में ये संख्या बढ़कर 2026 हो गई। देश के उत्तर-पूर्वी छोर पर हाथियों के कुनबे के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व बेहद संवेदनशील है। जो कि 6 जिलों के 5405 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला है। इसका एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 2213 वर्ग किमी. राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोन नदी वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी में आता है। जबकि 3269 वर्ग किमी क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन और घास के मैदानों में आता है। इसमें इंसानी बस्तियां, खेत और शहरी इलाके भी शामिल हैं।

वर्ष 2015 की हाथियों की गणना में ये बात सामने आई थी कि शिवालिक रिजर्व में रहने वाले तकरीबन 25 % हाथी संरक्षित क्षेत्र के बाहर रहते हैं। 2011 की जनगणना के लिहाज से 30,20,540 लोग शिवालिक कॉरिडोर के रास्ते में रहते हैं।

कोविड-19 वायरस के खुद में बदलाव करने की दर जितनी सोची गई उससे 67 फीसदी अधिक है

वायरस अपने आपको कैसे बदलता है? यदि कोई मरीज कुछ हफ्तों से अधिक समय तक कोविड-19 से पीड़ित रहता है, तो शरीर में वायरस विकसित हो सकता है जो संभावित रूप से नए रूपों को जन्म दे सकता है।

वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 की वजह से बनने वाला वायरस सप्ताह में लगभग एक बार अपने आपको बदल या उत्परिवर्तन (म्युटेट) कर रहा है। यह पहले जैसा अनुमान लगाया गया था उस दर से काफी अधिक है। अध्ययन से पता चलता है कि नए वायरस के रूप पहले की तुलना में अधिक तेजी से उभर सकते हैं। यह अध्ययन बाथ और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की अगुवाई में किया गया है।

सार्स-सीओवी-2 वायरस जो कोविड- 19 को जन्म देता है, इसके बारे में पहले हर दो सप्ताह में एक बार रूप बदलने के बारे में सोचा गया था। हालांकि बाथ विश्वविद्यालय में मिलनर सेंटर फॉर इवोल्यूशन और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में एमआरसी ह्यूमन जेनेटिक्स यूनिट के नए शोध से पता चलता है कि इस तरह लगाए गए अनुमानों ने कई वायरस के अपने आप में किए गए बदलावों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इसे कभी भी अनुक्रमित नहीं किया गया था। वायरस नियमित रूप से अपने रूप में बदलाव करते हैं।

विलुप्त हो रही गैंडों की पांच प्रजातियों में बहुत कम है आनुवंशिक विविधता

एजेंसियां:गैंडों में कम आनुवंशि-ाक विविधता और अधिक सजाति प्रजनन से वर्तमान प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ सकता है

निष्कर्ष बताते हैं कि सबसे पुराना विभाजन लगभग 1.6 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीकी और यूरेशियन वंश को अलग करता था। उन्होंने यह भी पता लगाया हैं कि आज गैंडों की घटती आबादी में आनुवंशिक विविधता कम पाई गई है।

अतीत की तुलना में इनमें अधिक सजाति प्रजनन पाया गया है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि गैंडों में ऐतिहासिक रूप से आनुवंशिक विविधता का निम्न स्तर था।सेंटर फॉर पैलियोजेनेटिक्स और स्वीडिश संग्रहालय के लव डेलन कहते हैं कि अब हम देख सकते हैं कि गैंडों का अधिकतर जीवन भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर, अफ्रीका बनाम यूरेशिया के बीच है, न कि उन गैंडों के बीच जिनके एक के अलावा दो सींग है।

पंजाब और हरियाणा की लेटलतीफी से असुरक्षित है चंडीगढ़ का सुखना वन्यजीव अभयारण्य

विवेक गुप्ता

चंडीगढ़ देश का पहला योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर है। यहां स्थित सुखना झील को बचाया जाना जरूरी है। वजह, सुखना वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण के लिहाज से इसका महत्व। इसके लिए एक प्रभावी सुरक्षा कवच यानी इसे इको सेंसेटिव जोन (पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र) घोषित किया जाना जरूरी है।

अभयारण्य के आसपास तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से बेलगाम निर्माण कार्य चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने इको सेंसेटिव जोन बनाने संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की है। अभयारण्य का अधिकांश हिस्सा पंजाब और हरियाणा में पड़ता है। बावजूद इसके, पंजाब 100 मीटर से अधिक इको सेंसेटिव जोन बनाने के पक्ष में नहीं है। हरियाणा ने भी इस मुद्दे को अधिक तरजीह नहीं दी है। चंडीगढ़ को देश के पहला सुनियोजित तरीके से बसाये गए शहर का खिताब हासिल है। इस शहर की बाहरी सीमा में सुखमा वन्यजीव अभयारण्य बसा है जो कई दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों की वजह से आकर्षण का केंद्र है। पर इस आकर्षण पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी सुरक्षा के लिहाज से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसेटिव जोन घोषित करने का स्पष्ट आदेश दिया हुआ है। बावजूद इसके पंजाब और हरियाणा की सरकारें इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने में देरी लगा रही हैं।सुखना वन्यजीव अभयारण्य मार्च 1988 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अस्तित्व में आया था। इसका मकसद था चंडीगढ़ की सुंदरता में चार चाँद लगाने वाले सुखना झील और उसके कैचमैंट इलाके को सुरक्षित करना। इस कैचमेंट इलाके में मौजूद घने जंगल में दुर्लभ वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का बसेरा है। यह अभयारण्य शिवालिक पर्वत के तलहटी इलाके में 2,600 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहां बड़ी संख्या में जलप्रपात हैं जो कि वर्षाजल को झील तक लेकर आते हैं। गर्मियों में झील का जलस्तर तेजी से कम होता है और मानसून के बाद इसकी स्थिति ठीक हो जाती है। यह जलस्रोत प्र-वासी पक्षियों के लिए भी जीवनरेखा है।

सुखना वन्यजीव अभयारण्य का अधिकतर किनारा पंजाब और हरियाणा से मिलता है।इन सब के बावजूद इस अभयारण्य को बचाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। वजह है तेजी से हो रहा शहरीकरण और साथ में अभयारण्य के संरक्षण को लेकर सरकारों में बेरुखी। देश के तमाम अभयारण्य के किनारों को एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 2002 में इको सेंसेटिव जोन (इएसजे) की संकल्पना लेकर आई।

चंडीगढ़ के मास्टर प्लान-2031 के मुताबिक इस अभयारण्य का 10 फीसदी किनारा चंडीगढ़ से सटा हुआ है और 90 फीसदी हिस्सा पंजाब और हरियाणा से लगा हुआ है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सबसे पहले अपने इलाके में पड़ने वाले 2.75 किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य को बफर जोन के रूप में अधिसूचित किया था। यह फैसला 2017 में लिया गया जब केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के लिए इको सेंसेटिव जोन बनाने का निर्णय लिया। हालांकि, पंजाब 100 मीटर से अधिक इको सेंसेटि-व जोन बनाने को राजी नहीं है। यह स्थिति तब है जब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य के इस प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया है। पंजाब के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (वार्डन) आरके मिश्रा ने कहा कि पंजाब 100 मीटर से अधिक इको सेंसेटिव जोन बनाने की स्थिति में नहीं है। इसकी वजह है सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास की इंसानी बसाहट।

सुखमा वन्यजीव अभयारण्य कई दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों की वजह से आकर्षण का केंद्र है। हालांकि, जो दिखता है मामला उससे कुछ अलग ही है। अभयारण्य से सटा हुआ पंजाब का कंसल इलाका रियल एस्टेट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। कंसल इलाके में कई रसूखदार लोगों की संपत्ति है। अगर अभयारण्य के बाहरी क्षेत्र में 100 मीटर से अधिक का इको सेंसेटिव जोन बनाया तो निर्माण पर कड़ी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का अभयारण्य को लेकर फैसला कागजों तक ही सिमटकर रह गया है।

कंसल इलाके में ही टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने अपना 2,000 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट 2007 में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के साझेदार पंजाब के विधानसभा सदस्य थे जिनके पास 21 एकड़ की सहकारिता की जमीन और 31 एकड़ की दो निजी संपत्ति पर मालिकाना हक था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2019 में यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि प्रोजेक्ट सुखमा वन्यजीव अभयारण्य के काफी करीब है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट अभयारण्य से 123 मीटर की दूरी पर है और इसे इसलिए अनुमति नहीं मिल सकती है।के दायरे में किसी भी तरह का व्यवसायिक या रहवासी निर्माण कार्य पर पाबंदी होगी। लेकिन फिलहाल सुखना झील के लिये कहीं से भी कोई राहत भरी खबर नहीं दिख रही है।

ट्रेनों का आंशिक समापन/ प्रारंभ

पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर - दरभंगा रेल खंड के हायाघाट एवं थलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल के निकट बाढ़ का पानी आ जाने के कारण निम्न ट्रेनों का आंशिक समापन/ प्रारंभ होगा

ट्रेन का आंशिक समापन : ट्रेन संख्या 08605 राउरकेला-जयनगर स्पेशल ट्रेन (यात्रा प्रारंभ 04/09/ 2021) जयनगर के स्थान पर बरौनी तक की जाएगी ।

ट्रेन संख्या 08606 जयनगर - राउरकेला स्पेशल ट्रेन (यात्रा प्रारंभ 05/09/ 2021) जयनगर के स्थान पर बरौनी से प्रस्थान करेगी।

बारिश और बाढ़ की चपेट में बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व में जीव जंतु भारी मुश्किल में हैं

गंडक नदी में इस साल आयी भीषण बाढ़ की वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व के एक तेंदुए को अपनी जान गंवानी पड़ी। भीषण बाढ़ की वजह से वह बहकर यूपी के कुशीनगर के एक गांव में चला गया था, वहां ग्रामीणों ने पीटकर उसकी हत्या कर दी।

अचानक आयी बाढ़ की वजह से गंडक नदी के किनारे संरक्षित घड़ियालों के सैकड़ों अंडे क्षतिग्रस्त हो गये। पहले मई महीने में इतनी बाढ़ नहीं आती थी, इसलिए इसके संरक्षण में जुटे वनकर्मी सतर्क नहीं थे। इस वजह से घड़ियालों के संरक्षण के अभियान को भारी धक्का पहुंचा है। बाढ़ की वजह से बहकर नौतन के शिवराजपुर में बहकर पहुंचे दो दर्जन से अधिक हिरणों का गांव वालों ने शिकार कर लिया। बार-बार सूचना देने पर भी पुलिस या वन विभाग के लोग नहीं पहुंचे।

पिछले कुछ वर्षों में जलवायु संकट और दूसरे कारणों की वजह से इस इलाके में गंडक और बूढ़ी गंडक नदी में आने वाली अनियमित बाढ़ ने इस इलाके की मानव आबादी के साथ-साथ इस संरक्षित वन के विलुप्तप्राय जीवों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। सीमित संसाधन, बाढ़ का अनुमान लगाने में अक्षम होने और समुचित प्रशिक्षण के अभाव में राज्य का वन विभाग इन पशुओं को समुचित सुरक्षा देने में विफल साबित हो रहा है।

बुंडू के सुटीलौंग में पुलिस पर ही अपने संरक्षण में अवैध बालू खनन कराने के लग रहे आरोप

सिदाम

रांचीः बुंडू के सुटीलौंग गांव में अवैध बालू खनन जारी है। कांची नदी के किनारे बसे इस गांव के कुछ बालू माफिया इस अवैध कारोबार में शामिल हैं। कांची नदी में जेसीबी मशीन उतारकर बालू का खनन किया जा रहा है। ट्रैक्टर से बालू को डम्प किया जाता है। रात के अंधेरे में दर्जनों हाईवा बुंडू के पारमडीह मोड़ से प्रवेश करके बिचाहातु गांव होते हुए सुटीलौंग गांव पहुंचते हैं। कांची नदी से निकाले गए अवैध डम्प से बालू को ले जाते हैं। इस अवैध कार्य का रेत माफिया मनमाना पैसा तो ले ही रहे हैं। साथ ही साथ बिचाहातु और सुटीलोंग गांव में चार से पांच जगह अवैध वसूली भी किया जा रहा है।

प्रतीकात्मक

सूटीलौंग गांव में कांची नदी से रेत खनन ऐसे समय में किया जा रहा है। जब एनजीटी ने नदी से बालू खनन की पाबंदी लगा रखी है। एनजीटी ने 15 अक्टूबर तक नदी से रेत खनन पर रोक लगा रखी है ऐसे में पहले से ही डम्प किए गए लाइसेंसी डम्प से बालू का कारोबार किया जाना है। पर सुटीलौंग गांव में ऐसा कोई वैध डम्प नही है जहां से बालू का कारोबार हो सके।इस तरह के अवैध बालू खनन से नदी में बने पुल कमजोर हो रहे हैं, बाढ़ से बह जा रहे हैं। वहीं गांव की सड़कें खराब हो जा रही है। आने -जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आकस्मिक समय मे ग्रामीणों को एम्बुलेंस सेवा भी नही मिल पा रहा है। रास्ता इतना खराब हो गया है कि एम्बुलेंस वाले सुटीलौंग गांव आने से मना कर देते हैं। इस अवैध रेत कारोबार का विरोध करने पर थाना में मामला दर्जः-29 अगस्त की रात सामाजिक कार्यकर्ता रवि पीटर, ललित महतो, परमेश्वर महतो ने पारमडीह मोड़ में बालू लदे अवैध हाईवा को देखा। रोक कर पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नही मिलने पर इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी।

ग्रामीणों का कहना है कि अवैध बालू लदे गाड़ी को रोकने वाले युवाओं पर ही मामला हुआ दर्ज

डीएसपी के साथ हुई बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है:-

सोनाहातू क्षेत्र में बालू गाड़ी पकड़ाया है! ..कहां पे? ..
यही चंचालु पहाड़ बोलते हैं न सर! सुटीलौंग.. सुटीलौंग..कहाँ पे?..
पारमडीह मोड़ सर..
अच्छा!..
जी बालू गाड़ी पकड़ाया है..जी तो थोड़ा आते न सर आपका सहयोग चाहिए था!..
कौन पकड़ा है?..
हमी लोग पकड़े हैं।..
नही तो छोड़ दीजिए!काहे पकड़े आपलोग?...कैसे..काहे पकड़े उसको?..
नही तो अवैध धंधा हो रहा है न सर!
..अवैध धंधा हो रहा है तो आपलोग का काम नही है ना पकड़ना..
क्यों सर?..क्यों सर?..तो वहां आपका काम है पारमडीह में पकड़ना!..काम नही है तो हम देखे तो पकड़ सकते हैं न सर?..
नही..नही.. आप मत पकड़िए..आप काहे इस तरह के झंझट में पड़ रहे हैं..छोड़ दीजिए आपलोग...
ठीक है सर!..
ठीक है ना!

इस घटना से सम्बंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ है..जिसमें घटनास्थल पर पुलिस घटनास्थल पर पहुँची है साथ मे बालू माफिया भी हैं । नेता रवि पीटर पुलिस को अवैध बालू कारोबार की जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच मारपीट शुरू हो जाती है। रवि पीटर सहित साथियों ने किसी तरह भाग कर जान बचाई। उन्होंने सोशल मीडया के माध्यम से जानकारी दी है कि बालू माफियाओं के द्वारा मारपीट की गई।वे किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जिस जगह ये घटना हुई वहां से पांच किलोमीटर की दूरी पर सुटीलौंग बालू घाट है जहां रेत का अवैध कारोबार जारी है। डीएसपी के साथ हुई बातचीत में ग्रामीण सुटीलौंग..सुटीलोंग..नाम लेकर जानकारी भी दे रहे हैं। पर, डीएसपी ग्रामीणों की बात को गम्भीरता से नही लिए।

उल्टे रंगदारी मांगने के आरोप में ललित महतो ,परमेश्वर सहित साथियों के ऊपर बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया।इस घटना के बात क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है कि बालू के अवैध कारोबार में स्थानीय प्रशासन की भी भागीदारी है !

26 सितं. से बीआईटी मेसरा स्टेडियम में झारखंड मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता

रांचीः 4 सितंबर 2021 को लाइव पर सिडेंट पीसी देवगन के अध्यक्षता में एक अत्यंत जरूरी मीटिंग बुलाया गया जिसमें 26 सितंबर 2021 को बीआईटी मिश्रा स्टेडियम में झारखंड मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया गया। जिसमें पुरुष वर्ग 35 प्लस और महिला वर्ग 30 प्लस के ऊपर प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। इसकी एंट्री फीस 500 रखा गया है। प्रतियोगिता सुबह 9:00 बजे से प्रतियोगिता आरंभ होगी।

बैठक में सचिव लक्ष्मण राम , वीरेंद्र प्रसाद, बाबू देव, टी आर बलिया , संजय राय ,राजेंद्र प्रसाद, श्रीकांत ,रंजीत मुंडा, रंजीत पुराण संगीता कुमारी ,अशोक सिंह ,रामप्रताप मुंडा, संजय चक्रवर्ती ,दशरथ महतो,निरंजन सिंह, ,सौरभ राय विनोद सिंह,अमरेंद्र प्रसाद, किस्टो जी प्रवीणने हिस्सा लिया। हैदराबाद में 21 फरवरी से 25 फरवरी 2022 में नेशनल मास्टर एथलेटिक्स गेम होने वाला है इसमें भाग लेने के लिए इससेसलेक्शन किया जाएगा अधिक जानकारी के लिए सचिव लक्ष्मण राम मोबाइल नंबर 87894 23152 और वीरेंद्र प्रसाद 98351 47176 पर संपर्क कर सकते हैं ।

मुझे भी खेलने का मन करता है,पर मैं क्या करूं मम्मी?

पेज एक का शेष ...1000 बच्चों में से 31 में पाया कि उनमें कुछ विकासात्मक देरी थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में हर 1000 में से 9 बच्चों के विकास में देरी हुई। यह सर्वेक्षण 0-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर किया गया था।ठरड सर्वेक्षण का अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक मंदता का प्रसार 3.1% है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 0.9% से बहुत कम है। औसतन यह पाया जाता है कि ऐसे सभी बच्चों में से 2.5% हल्के और मध्यम मंद होते हैं और 0.5% गंभीर या गंभीर मंदबुद्धि होते हैं। क्षेत्र में खनन का पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव खनन ने इस क्षेत्र की भूमि, जल, जंगल और हवा को बर्बाद कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान या प्रदूषण ने इन क्षेत्रों में मानव जीवन की गुणवत्ता को नष्ट कर दिया है। इन क्षेत्रों के पानी में मैंगनीज, क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक, मरकरी, फ्लोराइड, कैडमियम और तांबा जैसी भारी धातुएं भी पाई जाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार क्षेत्र में मौजूद सीसा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सामान्य कमजोरी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, साथ ही मंदता, एनोरेक्सिया, अपच, मुंह में धातु का स्वाद, सिरदर्द, उनींदापन, उच्च रक्तचाप और एनीमिया होना आम बात है। सरकार को देना चाहिये ध्यान इसे सरकार की अनदेखी भी कही जा सकती है कि इन क्षेत्रों के लोगों के लिये की योजना नहीं हैं।

अगर समय रहते सरकार का ध्यान इन बच्चों के तरफ जाये तो शायद ये बच्चे नहीं कहेंगे, ''गलियों में खेलती सहेलियों की आवाज मेरे कानों में जब जाती है, तब मुझे भी खेलने का मन करता है। पर मैं क्या करू, मम्मी कहती है, मैं सबके साथ खेल नहीं सकती। सब मुझसे दूर भागते हैं, क्योंकि मैं बीमार हूं।

सी.सी.एल. में 'राजभाषा माह' समारोह हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

रांची संवाददाता : प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सी.सी.एल.मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 01 से 30 सितंबर तक ''राजभाषा माह'' मनाया जा रहा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सितम्बर माह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं, वेब संगोष्ठी आदि का आयोजन किया जा रहा है।सीसीएल मुख्यालय में राजभाषा माह का प्रारम्भ 01 सितंबर को ई-5 एवं उच्च श्रेणी के अधिकारियों की निबंध प्रतियोगिता के साथ हुआ। 04 सितम्बर को 'हिन्दी निबंध प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता का शीर्षक 'भूमंडलीय उष्मीकरण : आगे की राह'' एवं 'मातृभाषा में ली गई शिक्षा हमें जड़ो से जोड़े रखती है'' था। इस प्रतियोगिता में कर्मचारियों एवं ई-4 तक के अधिकारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

प्रतियोगिता का आयोजन डॉ.अशोक कुमार सिंह, महाप्रबंधक(का./राजभाषा/कल्याण) के नेतृत्व में बलिराम सिंह,दिविक दिवेश, राजेश पाण्डेय, भरत महतो एवं अन्य के सहयोग से किया जा रहा है। राजभाषा माह के अंतर्गत 07 सितम्बर को कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता, 10 सितम्बर को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए), 14 सितम्बर को राजभाषा प्रतिज्ञा एवं वेब संगोष्ठी का आयोजन, 16 सितम्बर को हिन्दी टाईपिंग प्रतियोगिता, 21 सितम्बर को राजभाषा कार्यशाला आयोजन तथा 30 सितम्बर को समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जायेगा।इससे संबंधित जानकारी सीसीएल की वेबसाईट http://www.centralcoalfelds.in पर उपलब्ध है।

सीएमपीडीआई में चित्रकारी निबंध और क्वीज प्रतियोगिता

संवाददाता

रांची : सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान-4 नागपुर द्वारा दिनांक 02.सितंबर को ''आजादी का अमृत महोत्सव'' कार्यक्रम के अंतर्गत ''इंडीपेंडेंस इन न्यू इंडिया'' विषय पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।

इस मौके पर चित्रकारी, निबंध लेखन एवं क्वीज प्रतियोगिता में संस्थान के अधिकारियों कर्मचारियों तथा उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित कीगयी। प्रतियोगिता के प्रतिभागियों द्वारा शहीदों के प्रति सम्मान, राष्ट्र की प्रगति, स्वच्छ वातावरण] मनोरम प्रकृति एवं जीव-जन्तुओं के प्रति स्नेह दर्शाने वाली चित्रकारी की एवं सुन्दर संदेश देने वाली लेखनी लिखी गयी।

बिरसा उच्च विद्यालय को सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स दी गयी। सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान-रांची के क्षेत्रीय निदेशक जयंत चक्रवर्ती ने बिरसा उच्च विद्यालय हथिया गोंदा की प्राचार्या सुषमा तिवारी को दो ऑटोमेटिक टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स, लिक्विड सोप डिस्पेंसर्स लिक्विड हैंड वाश एवं फेस मास्क सौंपा। इस मौके पर जयंत चक्रवर्ती ने कहा कि लम्बे अंतराल के बाद स्कूल खोला गया है। ऐसी परिस्थिति में कोविड मापदंड को पालन करने में इन सामग्रियों की भूमिका अहम होगी। इस मौके पर संस्थान के अधिकारी एवं श्रमिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सीएमपीडीआई डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन जारी

सीएमपीडीआई के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल ऑफिसर डॉ0 ओम प्रकाश ने बताया कि डिस्पेंसरी में नियमित रूप से कोविशील्ड तथा को-वैक्सीन लोगों को दी जा रही है।

आईसीसी एमएसएमई बिजनेस मीट 2021 संपन्न

संवाददाता

रांची संवाददाता : 04 सितंबर को आईसीसी एमएसएमई बिजनेस मीट 2021 संपन्न हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति के इस्पात और खनन क्षेत्र से आगे बढ़ने और कृषि और पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों को छूने की उम्मीद है। राज्य में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने और निवेश लाने पर ध्यान दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना और संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए कौशल विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ जागरूकता पैदा करना समय की मांग है।

एन.एन. पांडे, आईएएस, पूर्व सचिव वन और पर्यावरण, व्यक्तिगत और प्रशासनिक सुधार और गृह विभाग झारखंड सरकार और राज्य चुनाव आयुक्त झारखंड ने अपने भाषण में कहा कि जल्द ही झारखंड देश का स्टील हब बन जाएगा और एमएसएमई क्षेत्र को इससे अत्यधिक लाभ होगा। मेकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट ने कहा कि आत्मानिर्भर भारत राज्य में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक अनूठी पहल है। इस तरह की पहल से राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ने और अधिक रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। भोला सिंह, निदेशक तकनीकी पी एंड पी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने उल्लेख किया कि भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी है और यह सबसे बड़ी चुनौती है। इस प्रकार, एमएसएमई क्षेत्र को रिवर्स टेक्नोलॉजी और हैंडहोल्डिंग सपोर्ट लाने की समय की आवश्यकता है।

बासुदेव गंगोपाध्याय, सीनियर जीएम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि झारखंड में इस्पात और खनन क्षेत्र के विकास से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्य की नई खनिज नीति के शुरू होने से एमएसएमई क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक नंद किशोर सिंह ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय साक्षरता समय की आवश्यकता है। फंड के उपयोग और पेशेवर लेखांकन के बारे में ज्ञान महत्वपूर्ण रहेगा। डॉ. एस के साहू, संयुक्त निदेशक और एचओओ, एमएसएमई - विकास संस्थान, सरकार। भारत के, टरटए मंत्रालय ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और नीतियों के बारे में बात की। उन्होंने विशेष रूप से क्लस्टर विकास दृष्टिकोण, क्रेडिट गारंटी योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना जैसी योजनाओं के बारे में बात की।

देश में कोयला संसाधनों के बेहतर आकलन के लिए कोल इंडिया ने लॉन्च किया सॉफ्टवेयर

संवाददाता

रांची:भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने स्पेक्ट्रल एनहान्समेंट (एसपीई) नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो भूकंपीय तरंगों की मदद से सर्वे कर भूगर्भ में दबी कोयले की पतली से पतली परत (सीम) का पता लगाने में मदद करेगा और इससे देश में कोयला संसाधनों के बेहतर आकलन में मदद मिलेगी। यह देश में कोयले की खोज में इस्तेमाल होने वाला अपनी तरह का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है। अब तक भूगर्भ में कोयले की सीम का पता लगाने के लिए किए जा रहे भूकंपीय सर्वे से धरती के अंदर मौजूद कोयले की पतली सीम का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता है, जिससे कोयला संसाधनों के आकलन में मुश्किल आती है। एसपीई सॉफ्टवेयर इसी समस्या का समाधान है, क्योंकि यह भूकंपीय तरंगों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे धरती के अंदर कोयले की पतली से पतली सीम का भी पता चल पाता है।

कोल इंडिया की अन्वेषण एवं विकास (आरएंडडी) करने वाली अनुषंगी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट (सीएमपीडीआई) ने अपनी तरह के इस पहले सॉफ्टवेयर को गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट (जर्मी) के सहयोग से तैयार किया है और इस सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए भी आवेदन दिया जाएगा। यह 'मेड इन इंडिया' सॉफ्टवेयर कोयले की खोज की प्रक्रिया में लगने वाले समय और पैसे के खर्च को भी कम करेगा, जिससे देश को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। कोल इंडिया लिमिटेड ने आरएंडडी बोर्ड के सदस्यों की मौजूदगी में इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, जिसमें कंपनी के निदेशकगण एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं के सदस्य शामिल हैं। गौरतलब है कि कोल इंडिया देश का 80% से अधिक कोयला उत्पादन करती है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित हैं दुनिया के 410 करोड़ लोग

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित हैं दुनिया के 410 करोड़ लोग 55 फीसदी जरूरतमंद महिलाओं को नकद मातृत्व लाभ नहीं मिलता है। इसी तरह गंभीर रूप से विकलांग 66.5 फीसदी लोग विकलांगता योजनाओं के लाभ से वंचित हैं

ललित मौर्य

भले ही कोविड-19 संकट के दौरान दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 410 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट 'वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22' में सामने आई है।

दुनिया की केवल 47 फीसदी आबादी को ही प्रभावी रूप से कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि करीब 53 फीसदी (410 करोड़ लोग) योजनाओं और मिलने वाले लाभ से पूरी तरह से वंचित हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने न केवल उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो खाई है, उसे न केवल उजागर किया है बल्कि और बढ़ा दिया है। इस महामारी के असर को कम करने के लिए देशों द्वारा जो जरुरी कदम उठाए गए थे उनमें काफी असमानता थी। यही नहीं वो सभी जरुरतमंद लोगों तक सामाजिक सुरक्षा देने में विफल रही थी। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो जहां यूरोप और मध्य एशिया में 84 फीसदी आबादी कम से एक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रही थी। वहीं अमेरिका में यह पहुंच 64.3 फीसदी आबादी तक थी, जबकि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यह 44 फीसदी, अरब राष्ट्रों में 40 फीसदी और अफ्रीका में केवल 17.4 आबादी को ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गौरतलब है कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में स्वास्थ्य देखभाल से लेकर आय सुरक्षा को शामिल किया गया है। जिसमें वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, काम के दौरान चोट, मातृत्व, परिवार में आय अर्जन करने वाले की मृत्यु पर उसके परिवार और बच्चों को मिलने वाली मदद शामिल है।

केवल चार में से एक बच्चे को मिल रहा है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ

यदि बच्चों की बात करें तो दुनिया में अधिकांश बच्चों के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट से पता चला है कि हर चार में से केवल एक बच्चे (26.4 फीसदी) को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल पाता है। वहीं 45 फीसदी जरूरतमंद महिलाओं को ही नकद मातृत्व लाभ मिलता है, जबकि केवल 33.5 फीसदी गंभीर रूप से विकलांग लोगों को ही विकलांगता लाभ मिलता है। इसी तरह बेरोजगार लोगों को मिलने वाला लाभ भी बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। अनुमान है कि दुनिया में केवल 18.6 फीसदी बेरोजगारों को इस योजना का प्रभावी रूप से लाभ मिल रहा है। हालांकि 77.5 फीसदी उम्रदराज लोगों को किसी न किसी रूप में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। यदि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो उनमें भी इन योजनाओं तक पहुंच में काफी असमानता है। इसी तरह महिलाओं और पुरुषों के बीच भी सामाजिक सुरक्षा को लेकर काफी असमानताएं हैं।

अमीर गरीब की खाई यहां भी : यदि इन सामाजिक सुरक्षा पर सरकारों द्वारा किए जा रहे खर्च को देखें तो इसमें भी अमीर और गरीब देशों के बीच काफी असमानता है। एक और जहां अमीर देश अपने जीडीपी का 16.4 फीसदी हिस्सा इन योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं वहीं कम आय वाले देशों के लिए यह आंकड़ा केवल 1.1 फीसदी ही है। वहीं यदि वैश्विक औसत को देखें तो सामाजिक सुरक्षा पर किया जा रहा खर्च जीडीपी का औसतन करीब 12.8 फीसदी है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य पर किए जा रहे खर्च को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि सभी के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जितने वित्त की जरुरत है वो काफी काम है। अनुमान है कि कोविड-19 महामारी की शुरुवात के बाद से इसमें करीब 30 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है।

अनुमान है कि सभी को बुनियादी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए निम्न आय वाले देशों को हर वर्ष करीब और 5.69 लाख करोड़ रुपय (7,790 करोड़ डॉलर) की जरुरत होगी, जोकि उनकी जीडीपी का 15.9 फीसदी के बराबर है। इसी तरह निम्न-मध्यम-आय वाले देशों के लिए करीब 26.5 लाख करोड़ रुपए (36,290 करोड़ डॉलर), जीडीपी का 5.1 फीसदी और माध्यम-उच्च आय वाले देशों के लिए करीब और 54.8 लाख करोड़ रुपए (75,080 करोड़ डॉलर) की जरुरत होगी, जोकि उनकी जीडीपी के 3.1 फीसदी हिस्से के बराबर है।

सामाजिक सुरक्षा के बारे में अपनी राय प्रकट करते हुए आईएलओ के महानिदेशक गाय राइडर ने कहा कि ''हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रभावी और व्यापक सामाजिक सुरक्षा ने केवल सामाजिक न्याय और अच्छे कार्यों के लिए बल्कि साथ ही यह एक बेहतर भविष्य के लिए भी आवश्यक है। वहीं आईएलओ की सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक, शाहरा रजवी का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है यह स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, बेहतर और मजबूत आर्थिक प्रणाली, बेहतर तरीके से प्रबंधित प्रवास और मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। यही नहीं इन योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय सीमाओं से परे सभी जरूरतमंदों तक पहुंचेगा।

हर साल निकाली जा रही 5,000 करोड़ टन रेत, भारत सहित 70 देशों में होता है अवैध खनन

दुनिया भर में अवैध और बेरोकटोक तरीके से हो रहा रेत खनन एक बड़ी समस्या है, जो एक तरफ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही सामजिक संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है

दुनिया भर में हर साल करीब 5,000 करोड़ टन रेत और बजरी नदियों, झीलों आदि से निकाली जा रही है। देखा जाए तो यह दुनिया में सबसे ज्यादा खनन की जाने वाली सामग्री है। आज जमाव से कहीं ज्यादा तेजी से इनका अंधाधुंध खनन हो रहा है, नतीजन यह अनेक पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं को जन्म दे रहा है।

हाल ही में इसपर मैकगिल और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय द्वारा किए एक शोध से पता चला है कि रेत और बजरी का खनन भारत जैसे मध्यम और निम्न आय वाले देशों में बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पर्यावरण को नजरअंदाज कर इसका अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। पिछले कुछ वर्षों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स देशों) में बढ़ते शहरीकरण के कारण रेत, बजरी और छोटे पत्थरों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। वहीं यदि सीमेंट की मांग को देखें तो पिछले 20 वर्षों के दौरान दुनिया भर में इसकी मांग में 60 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं इस दौरान चीन में इसकी मांग में करीब 438 फीसदी की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। गौरतलब है कि सीमेंट की मांग सीधे तौर पर रेत और बजरी की बढ़ती से भी जुड़ी है।

जर्नल वन अर्थ में छपे इस शोध के मुताबिक यदि रेत और बजरी की खपत को देखें तो इसकी ज्यादातर खपत उत्तरी अमेरिका और चीन जैसे देशों में होती है। वहीं दूसरी तरफ उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होने का अनुमान है। देखा जाए तो इन देशों में ज्यादातर रेत और बजरी का खनन अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले छोटे स्तर के खनिकों द्वारा किया जाता है। जिनकी जीविका इस पर ही निर्भर करती है।

पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज के लिए खतरा है अवैध खनन

पिछले कुछ वर्षों में रेत खनन के साथ-साथ हिंसा की वारदातों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में भी रेत माफिया और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष की खबरे भी अक्सर सामने आती रहती हैं। भारत में खनन को लेकर होने वाले इन संघर्षों के लिए काफी हद तक पानी को लेकर होने वाला विवाद, प्रदूषण और चोरी छुपे किया जा रहा अवैध खनन जिम्मेवार है। इस बारे में मैकगिल विश्वविद्यालय से जुड़े और शोध के प्रमुख शोधकर्ता मेटे बेंडिक्सन ने बताया कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रेत उद्योग, सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से करीब आधों को प्रभावित कर रहा है और उनके बीच टकराव की स्थिति है। उनके अनुसार रेत और बजरी के खनन का पर्यावरण पर जो असर पड़ता है, वह पारिस्थितिक तंत्र की प्राकृतिक गतिशीलता से जुड़े लक्ष्यों के साथ टकरा रहा है इसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और यह स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। यही नहीं इससे जो सामजिक असमानता पैदा हो रही है वो छोटे खनिकों और उनके परिवर्तन को भी प्रभावित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से इसकी मांग और कीमतों में इजाफा हुआ है, उसने अवैध खनन को बढ़ावा दिया है। जिसके कारण नदियों और समुद्र तटों के पारिस्थितिकी तंत्रों पर असर पड़ा है।

कृत्रिम रोशनी की वजह से घट रही है कीट पतंगों की आबादी

झाड़ियों और घास-पूस वाली जगहों पर कीटों की आबादी में 47 प्रतिशत की कमी और सड़क के किनारे घास-पूस वाले क्षेत्रों में 37 प्रतिशत की कमी देखी गई।एलईडी स्ट्रीट लाइट की वजह से घट रही है कीट पतंगों की आबादी

आज इस बात के कई प्रमाण हैं कि हाल के दशकों के दौरान कुछ स्थलीय कीट पतंगों की आबादी में तेजी से गिरावट आई है, जिसने पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज के बारे में चिंता बढ़ा दी है। रात में उपयोग किया जाने वाला कृत्रिम प्रकाश (एएलएएन) जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं के लिए तेजी से खतरा बनते जा रहा है। रात में उपयोग होने वाले स्ट्रीट लाइट विशेष कर वे जो सफेद प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) हैं। यह न केवल कीटों के व्यवहार को बदल रहा हैं, बल्कि उनकी घटती संख्या के लिए भी जिम्मेवार है। इस बात का पता दक्षिणी इंग्लैंड में किए गए एक नए अध्ययन से चला है। रात में कृत्रिम रोशनी को दुनिया भर में कीटों की आबादी में गिरावट करने वाले कारणों के रूप में पहचाना गया था, लेकिन इस विषय पर बहुत कम शोध किया गया है।

इस सवाल का हल ढूंढने के लिए, वैज्ञानिकों ने 26 सड़कों के किनारों की तुलना की, जिसमें झाड़ियों और घास-पूस वाली जगहों के किनारे शामिल थे, जहां स्ट्रीट लाइट द्वारा रोशनी की जा रही थी। वहीं दूसरी ओर ऐसी ही समान संख्या में जगहें थी जो बिना रोशनी के थे। उन्होंने एक ऐसी जगह की भी जांच की जिसमें एक बिना रोशनी वाला हिस्सा था और दो जगहों पर स्ट्रीट लाइट के द्वारा रोशनी की गई थी, जिनमें वनस्पति लगभग समान थी। टीम ने रात्रिचर कीट मोथ कैटरपिलर को चुना, क्योंकि वे उड़ने की क्षमता हासिल करने से पहले अपने जीवन के लार्वा चरण के दौरान कुछ ही मीटर के अंदर रहते हैं। टीम ने या तो झाड़ियों को डंडों से हिलाया ताकि कैटरपिलर बाहर गिर जाएं या घास को झाड़ कर कर उन्हें जाल में उठा लिया। शोधकर्ताओं ने कहा परिणाम आंखें खोलने वाले थे, झाड़ियों और घास-पूस वाली जगहों पर कीटों की आबादी में 47 प्रतिशत की कमी और सड़क के किनारे घास-पूस वाले क्षेत्रों में 37 प्रतिशत की कमी देखी गई।

यूके सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी के प्रमुख शोधकर्ता डगलस बोयस ने बताया कि हम वास्तव में काफी हैरान थे कि यह कितना गंभीर था, जबकि टीम को लगभग 10 प्रतिशत की मामूली गिरावट की उम्मीद थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस बात के सबसे अधिक आसार हैं कि इन इलाकों में मादाओं के अंडे नहीं देने के कारण यह सब हो रहा है। कृत्रिम रोशनी ने उनके खाने के व्यवहार को भी बिगाड़ दिया है, जब टीम ने कैटरपिलर का वजन किया, तो उन्होंने पाया कि रोशनी वाले क्षेत्रों में वे अधिक भारी थे। बोयस ने कहा कि टीम ने इस बात का पता लगाया कि कैटरपिलर यह नहीं जानते कि अनजान स्थिति का जवाब कैसे दिया जाए, जो उन परिस्थितियों के विपरीत चलती है जहां वे लाखों वर्षों में विकसित हुई हैं। अपने विकास के माध्यम से तेजी से बढ़ने के परिणामस्वरूप वे अधिक खाना खाती हैं। टीम ने पाया कि उच्च दबाव वाले सोडियम (एचपीएस) लैंप या पुराने निम्न-दबाव वाले सोडियम (एलपीएस) लैंप के विपरीत एलईडी की रोशनी वाले इलाकों में व्यवधान सबसे अधिक पाया गया। दोनों ही एक पीले-नारंगी चमक उत्पन्न करते हैं जो सूरज की रोशनी से कम मेल खाती है। यह अध्ययन साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है।अपनी बेहतर ऊर्जा दक्षता के कारण हाल के वर्षों में एलईडी लैंप अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। अध्ययन ने माना कि स्ट्रीट लाइट का प्रभाव स्थानीय आधार पर होता है और कीटों की संख्या में गिरावट के लिए मामूली तौर पर जिम्मेदार है। शहरीकरण और उनके आवासों के विनाश, अत्यधिक कृषि, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सहित अन्य महत्वपूर्ण कारण भी इनकी कम होती संख्या के जिम्मेवार हैं।लेकिन यहां तक कि स्थानीय आधार पर भोजन की कटौती के पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पक्षियों और चमगादड़ों के लिए भोजन कम होता है।

शोधकर्ताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए काफी अच्छा समाधान भी बताया हैं। बोयस ने कहा समाधान के रूप में जैसे लैंप के रंग को बदलने के लिए उस पर फिल्टर लगाना या ढाल लगाना ताकि प्रकाश केवल सड़क पर ही रोशनी बिखेरे, कीट पतंगों के रहने वाली जगहों पर नहीं। ***दयानिधि***

सिमडेगा में शुरू हुआ पहला स्टेट ऑफ आर्ट कॅरियर काउंसेलिंग और स्किल डेवलपमेंट सेंटर

रांची/सिमडेगा : झारखण्ड का आकांक्षी जिला सिमडेगा। अब यहां के युवा स्पोकेन इंग्लिश, बॉडी लैंग्वेज और अन्य स्किल से सम्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सिमडेगा में कॅरियर काउंसेलिंग एण्ड स्किल डेवलपमेंट सेन्टर की शुरुआत की गई है, ताकि यहां के युवा केन्द्र की बेहतर सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपने भविष्य को गढ़ सकें।

कॅरियर से संबंधित हर तरह की सुविधा :कॅरियर काउंसेलिंग एण्ड स्किल डेवलपमेंट सेन्टर में युवाओं को विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों में आवेदन प्रक्रिया की सुविधा मिल रही है। इसके लिए इंटरनेट युक्त दस कम्प्यूटर, लाईब्रेरी, कॉफी सेंटर, लाइव डेमो हेतु टीवी, प्रोजेक्टर की सुविधा रहेगी। हर सप्ताह खिलाड़ियों, दिव्यांग, बाल सम्प्रेक्षण गृह के बच्चों, नियोजनालय के निबंधित युवक-युवतियों तथा सरकारी कर्मियों के कॅरियर काउंसेलिंग एण्ड स्किल डेवलपमेंट के कार्य किये जाएंगे।

महिला खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान :सिमडेगा हॉकी के नर्सरी के रूप में जाना जाता है। देश की महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलिंपिक में हुए प्रदर्शन के दौरान सबकी आंखे यहां की दो खिलाड़ियों निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के प्रदर्शन पर टिकी रही। यहां महिला हॉकी खिलाड़ी अपने हुनर को निखार रही हैं। लेकिन, देश या विदेशों में जाने पर यहां के खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है क्योंकि वे ग्रामीण परिवेश से वहां तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि महिला खिलाड़ियों के लिए बॉडी लैंग्वेज प्रशिक्षण, कॅरियर काउंसेलिंग और स्पोकेन इंग्लिश प्रशिक्षण की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

पिछले 50 वर्षों से हर रोज 115 लोगों की जान ले रहीं हैं मौसम और जलवायु से जुड़ी आपदाएं

पिछले 50 वर्षों में मौसम और जलवायु से जुड़ी इन आपदाओं में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, साथ ही इनसे करीब 266 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम और जलवायु से जुड़ी आपदाओं में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसका मतलब है कि यह आपदाएं तब से हर रोज औसतन 115 लोगों का जीवन लील रही हैं। इनमें से करीब 91 फीसदी मौतें भारत जैसे विकासशील देशों में हुई हैं। यही नहीं इन आपदाओं से अब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 266 लाख करोड़ रुपए (364,000 करोड़ डॉलर) का नुकसान हो चुका है। इस हिसाब से यह औसतन हर रोज 1476.28 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा रही हैं। यही नहीं रिपोर्ट का कहना है कि जिस तरह से जलवायु में बदलाव आ रहे हैं उनके चलते पिछले 50 वर्षों में इन आपदाओं की संख्या में पांच गुना इजाफा हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि जिस तरह से आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार हुआ है उसके चलते इन आपदाओं से होने वाली मौतों में करीब तीन गुना कमी आई है।

डब्लूएमओ ने 1970 - 2019 के बीच आई मौसम और जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण होने वाली मौतों और आर्थिक नुकसान का व्यापक विश्लेषण किया है। इस अवधि के दौरान 11,000 से अधिक आपदाएं दर्ज की गई थी।

भारत में पेड़ों की 469 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा

देश में पेड़ों की 2,603 प्रजातियों में से 18 फीसदी (469) पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। वहीं वैश्विक स्तर पर केवल 41.5 फीसदी प्रजातियों को ही सुरक्षित माना गया है

ओशिनिया में पेड़ों की सबसे कम प्रजातियां पाई जाती हैं।

भारत में पेड़ों की करीब 18 फीसदी यानी 469 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यह जानकारी हाल ही में बॉटनिक गार्डनस कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्डस ट्रीज में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में पेड़ों की 2,603 प्रजातियां हैं। यही नहीं रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि भारत में पेड़ों की 650 ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में पेड़ों की करीब 58,497 प्रजातियां हैं। जिनमें से केवल 41.5 फीसदी (24,255) प्रजातियां ही सुरक्षित घोषित हैं। वहीं पेड़ों की करीब 29.9 फीसदी (17,510) प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जबकि 7.1 फीसदी (4,099) के लिए यह माना जा रहा है कि मुमकिन है कि वो संकटग्रस्त हो। हालांकि 21.6 फीसदी (12,490) के बारे में अभी तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनुमान है कि पेड़ों की करीब 142 प्रजातियां जंगलों से विलुप्त हो चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार पेड़ों की जो विविधता है वो दुनिया भर में आसमान रूप से वितरित है। जहां मध्य और दक्षिण अमेरिका पेड़ों की सबसे ज्यादा 23,631 प्रजातियां हैं वहीं इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में 13,739 और अफ्रीका के अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों की 9,237 प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका और

मेडागास्कर में सबसे ज्यादा 1,842 प्रजातियों पर हैं संकट

यदि संकटग्रस्त प्रजातियां की बात करें तो इनकी संख्या उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, जिसमें मेडागास्कर भी शामिल है, जहां पेड़ों की 1,842 (59 फीसदी) प्रजातियां खतरे में हैं। वहीं मॉरिशस में पाई जाने वाली करीब 57 फीसदी (154) प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। वहीं ब्राजील में पेड़ों की 1,788 प्रजातियां, इंडोनेशिया में 1,306, मलेशिया में 1,295, मेक्सिको में 1,097, चीन में 890, पेरू में 786 और वेनेजुएला में 614 प्रजातियां खतरे में हैं। यदि पेड़ों की इन प्रजातियों पर मंडराते खतरों की बात करें तो इनमें सबसे ऊपर जंगलों को काटना है, जिसे कृषि, खनन, लकड़ी, शहरीकरण जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। वहीं आक्रामक कीटों और बीमारियों के कारण भी यह प्रजातियां खत्म हो रही हैं। इनके लिए कहीं हद तक जलवायु में आ रहा बदलाव भी जिम्मेवार है।

यदि पिछले 300 वर्षों का इतिहास देखें तो वैश्विक स्तर पर जंगलों में 40 फीसदी की कमी आई है। वहीं 29 देशों में जंगलों के कुल क्षेत्रफल में करीब 90 फीसदी की कमी आई है। इसके लिए मुख्य रूप से भूमि उपयोग में बदलाव और कृषि जिम्मेवार है। वहीं इनके लिए दूसरा प्रमुख खतरा इन प्रजातियों का सीधे तौर पर किया जा रहा शोषण हैं जिनमें टिम्बर के लिए पेड़ों को काटना शामिल है। अनुमान है कि इसके कारण 7,400 प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं यदि आक्रामक प्रजातियों को देखें तो इनके चलते 1,356 प्रजातियां खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम भी पेड़ों के लिए एक तेजी से उभरता हुआ खतरा है जो पूरी दुनिया में पेड़ों को प्रभावित कर रहा है। करीब 1,080 मामलों में इसे खतरे के रूप में पाया गया है।

दुनिया भर में 30 फीसदी शिकारी पक्षियों पर मंडरा रहा है खतरा

दक्षिण एशिया में मरे हुए जानवरों को खाने के बाद शिकारी पक्षियों की मृत्यु में बढ़ोतरी देखी गई है, हाल के दशकों में कुछ प्रजातियों की आबादी में 95 फीसदी तक की कमी आई है।

दुनिया भर में मानवजनित पर्यावरणीय प्रभावों के चलते जैसे कि आवास का नुकसान, जहरीली दवाओं के उपयोग ने शिकारी प्रजातियों के पक्षियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसमें लगभग 50 फीसदी प्रजातियों की आबादी घट रही है। कई तरह के संरक्षण के बावजूद भी दुनिया भर में शिकार करने वाले पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और बर्डलाइफ इंटरनेशनल के आंकड़ों के एक नए विश्लेषण में पाया गया कि दुनिया भर में 557 शिकारी प्रजातियों के पक्षियों में से 30 फीसदी को खतरे, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि 18 प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं, जिनमें फिलीपीन ईगल, हुडेड गिद्ध और एनोबोन स्कॉप्स उल्लू शामिल हैं।

EZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi

93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

जानवरों के लिए सुरक्षित नहीं दुनिया की 73 फीसदी भूमि

दुनिया की करीब 44 फीसदी भूमि, कृषि के चलते उभयचर जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है। वहीं 50 फीसदी भूमि पर पक्षियों और 73 फीसदी पर जानवरों के शिकार और पकड़े जाने का खतरा है

दुनिया की करीब 73 फीसदी भूमि जानवरों के लिए सुरक्षित नहीं हैं, वहां उनके शिकार और पकड़े जाने का खतरा है। वहीं यदि पक्षियों की बात करें तो करीब 50 फीसदी भूमि उनके लिए सुरक्षित नहीं है, जहां उनके शिकार और पकड़े जाने का खतरा है। यह जानकारी हाल ही में जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित एक शोध में सामने आई है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर उन स्थानों की पहचान की है, जहां जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा है। साथ ही यह भी जानकारी दी है कि उन्हें किस चीज से सबसे ज्यादा खतरा है। अपने इस शोध में उन्होंने जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों, पक्षियों और उभयचरों को शामिल किया है और यह दर्शाया है कि किस जीव को दुनिया के किस स्थान पर 6 प्रमुख खतरों में से किसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है।

जैवविवधता के लिए इन प्रमुख खतरों में कृषि, शिकार, जंगलों की कटाई, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया है। यही नहीं इसे स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में उन स्थानों का मानचित्रण भी किया है जहां जीवों के वर्ग विशेष पर किसी एक से सबसे ज्यादा खतरा है।

यह शोध कितना व्यापक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस शोध में आईसीयूएन द्वारा खतरे में पड़ी 23,271 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जोकि सभी स्थलीय उभयचरों, पक्षियों और स्तनधारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। देखा जाए जैसे-जैसे इंसानी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है वैसे-वैसे जैवविविधता सिकुड़ती जा रही है। वो अपनी बढ़ती जरुरत को लिए अंधाधुंध तरीके से जंगलों का विनाश कर रहा है। अपने खेतों का विस्तार कर रहा है उसमें कीटनाशकों जैसे प्रदूषकों का प्रयोग कर रहा है, जो अन्य जीवों के लिए संकट बनता जा रहा है। यही नहीं कभी अपना पेट भरने के लिए शिकार करने वाला आदिम मानव आज इस कदर विकसित हो गया है कि शिकार और जंगली जीवों को पकड़ना उसकी जरुरत नहीं शौक बन गया है।

जिस तरह से वो इधर से उधर नई प्रजातियों को फैला रहा है उससे आक्रामक प्रजातियों के खतरे की सम्भावना भी बढ़ती जा रही है। आज बढ़ते वाहन, उद्योग और ऊर्जा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जा रहा है जो वैश्विक स्तर पर जलवायु में बदलावों का कारण बन रहा है। आज यह बदलती जलवायु दुनिया भर में सभी जीवों के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है।

ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि हिमालय, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, मेडागास्कर के शुष्क वनों, पूर्वी अफ्रीका में अल्बर्टिन रिफ्ट और पूर्वी आर्क पर्वत, पश्चिम अफ्रीका के गिनी वन, अटलांटिक वन, अमेज़न बेसिन, दक्षिण और मध्य अमेरिका में उत्तरी एंडीज, पनामा और कोस्टा रिका में जैव विविधता के संरक्षण को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की जरुरत है।

इंसान को बदलना होगा अपना व्यवहार और रहन-सहन

इस शोध के प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक डॉ माइक हार्फूट का कहना है कि आज प्रकृति पर वैश्विक संकट मंडरा रहा है। ऐसे में जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के लिए अगले 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस शोध में प्रकृति पर मंडरा रहे उन प्रमुख खतरों के बारे में बताया है जिनके लिए हम इंसान ही जिम्मेवार हैं। साथ ही इसमें उन स्थानों की भी पहचान की है जहां जैवविविधता पर इन खतरों का सबसे ज्यादा खतरा है। यह जानकारी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद कर सकती है। यह वो क्षेत्र हैं जहां जैवविविधता को बचाने के लिए की गई कार्रवाई बेहतर परिणाम दे सकती है। देखा जाए तो धरती हम सब जीवों का एक साझा घर है, जिसे बचाना हमारी जिम्मेवारी है। ***साभार :डीटीई***

मनुष्य की बढ़ती महत्वाकांक्षा है समस्याओं की जड़

हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें इन खतरों का पता नहीं है पर इस शोध में उन स्थानों की पहचान की है, जहां किस खतरे से जीवों के वर्ग विशेष पर सबसे ज्यादा खतरा है। निष्कर्ष बताते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि और जंगलों को जिस तेजी से काटा जा रहा है वो जैवविविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी तरह पक्षियों और जानवरों के लिए शिकार और उन्हें पकड़ना पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है।

दुनिया के कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनके 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सों पर जानवरों, पक्षियों और उभयचर जीवों की किसी विशेष प्रजाति पर कृषि, शिकार, वनों के विनाश, आक्रामक प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन से खतरा है। शोध के अनुसार कृषि, उभयचर जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया की करीब 44 फीसदी भूमि कृषि के चलते उभयचरों के लिए सुरक्षित नहीं है। वहीं यदि जानवरों और पक्षियों को देखें तो उन्हें सबसे ज्यादा खतरा शिकार और पकड़े जाने का है। जहां दुनिया की करीब 50 फीसदी भूमि इसके कारण पक्षियों के लिए सुरक्षित नहीं है वहीं करीब 73 फीसदी जमीन पर जानवरों के शिकार और पकड़े जाने का खतरा है। वहीं यदि पक्षियों, जानवरों और उभयचरों की सम्मिलित बात करें तो इन सभी के लिए कृषि सबसे बड़ा खतरा है।

RUDS

Rural and Urban Development Society is supporting Humanity first in feeding the strays of Ranchi.

We are currently feeding 200+ dogs in three locations in Ranchi i.e., Ratu Raod, Baniatu & Railway Colony.

"FEEDING HUMAN'S BEST FRIEND. THEY JUST LOVE AND NOT BITE."

CONTACT US, FOR FURTHER QUERIES & DETAILS

SWATI-9431526364

GPay 8789398613

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।